

65
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- एफ2(8)/नि.प्र./2014-15/ 229

दिनांक : 20.07-2014

आदेश

आदेश क्रमांक वि.स./2014-15/नि.प्र./94 दिनांक 19.05.2014 के द्वारा अतिरिक्त मदों (extra items) व अतिरिक्त मात्राएँ (Additional Quantities) के प्रकरण लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों (PWFAR) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप निर्णित किये जाने के आदेश दिये गये थे, किन्तु संज्ञान में आया है कि उक्त आदेशों की अब भी अवहेलना की जा रही है।

यह भी संज्ञान में लाया गया है कि अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उनके कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठतम लेखा कार्मिक/अधिकारियों की टिप्पणियों/परीक्षा के बिना ही किया जा रहा है। प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के परिशिष्ट XIII का बिन्दु सं. (vi) में इस बाबत पूर्णतया स्पष्ट निर्देश दिये हुए हैं, जिन्हें उद्धरत किया जा रहा है।


"शक्तियों का प्रयोग वरिष्ठतम लेखा कार्मिकों (वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी /वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/प्रभागीय लेखाकार), जहाँ कहीं विभाग/कार्यालय में पदस्थापित हों, द्वारा टिप्पणियों/परीक्षा करने के पश्चात ही किया जायेगा। तथापि, स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, कारण लेखबद्ध करते हुए, लेखा कार्मिकों की सलाह को नामंजूर कर सकता है। स्वीकृति देते समय, लेखा कार्मिकों द्वारा की गयी टिप्पणी/परीक्षा संदर्भ दिया जायेगा।"

भविष्य में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में उपरोक्त की अनुपालना सुनिश्चित की जावे, अन्यथा प्रयोग की गई शक्ति को गम्भीर वित्तीय अनियमितता माना जाकर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

राजस्थान आवासन मण्डल (कार्य निष्पादन) विनियम, 2002 के PART-V Accounting/Work Procedure के बिन्दु सं. 27 Application of PWD Code:-

"PWD code shall be applicable along with relevant financial hand books and manual of order except and to the extent modified otherwise."

के दृष्टिगत आदेश क्रमांक RE HQ I/2001-2002/776 दिनांक 26.07.2002, तत्पश्चात कार्यालय आदेश क्र. वनिस/सचिव/2007/123 दिनांक 03.11.2007 एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 440 दिनांक 29.11.2007 के द्वारा निविदा स्वीकृति, अस्वीकृति एवं बातचीत (Negotiates) में संशोधित की गई वित्तीय स्वीकृति की सीमा को यथावत रखते हुए शेष समस्त शक्तियाँ लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम परिशिष्ट XIII के अनुसार ही होंगी।


आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, I/II/HQ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता I/II/III, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
4. उय आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त
5. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड
6. संयुक्त निदेशक (एस.ए.), राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को सूचनार्थ एवं संबंधित के ई-मेल व वेबसाईट पर महत्वपूर्ण आदेशों पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. समस्त वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जारी की गई स्वीकृतियों सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत हैं, यदि स्वीकृतियों अधिकारतीत रूप से गैर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई हैं, तो उनको सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति हेतु लौटा दें, अन्यथा अधिकारतीत किये गये कार्य में उनकी भी समान सहभागिता मानकर जिम्मेवारी तय की जायेगी।

50
आवासन आयुक्त

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- एफ2(8)/नि.प्र./2014-15/233

दिनांक :- 31/7/14

आदेश

प्रायः यह देखा जा रहा है कि निर्माण कार्यों के लगभग प्रत्येक अनुबन्ध में अत्यधिक मात्रा में अतिरिक्त मदें (Extra Items) व अतिरिक्त मात्राएँ (Additional quantities) सम्पादित करवाई जा रही हैं। ऐसा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति (A/F) व तकनीकी स्वीकृति के प्राक्कलनों (Estimates) को सावधानी पूर्वक तैयार न किये जाने के कारण हो रहा है।

प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राथमिक अनुमानों के आधार पर जारी की जाती है। प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के पश्चात तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है जो कि :-

1. सन्दर्भित बेंच अंक स्थापित कर
2. विस्तृत सर्वेक्षण, अनुसंधान और कार्यचालन डिजाइनें/रेखांकन


के आधार पर तैयार किये गये विस्तृत तकनीकी अनुमानों के आधार पर जारी की जानी चाहिये, किन्तु खेद का विषय है कि मण्डल में समय-समय पर आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्देश जारी किये जाने के बावजूद अधिकांश प्रकरणों में मात्र औपचारिकता के रूप में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्राथमिक अनुमानों के आधार पर ही तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी जाती है।

वर्क्स कमिटी द्वारा विभिन्न बैठकों में इस पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई है एवं 28.11.2005 की बैठक में तो ये निर्देश भी दिये गये कि आगे से तकनीकी स्वीकृति से 10 प्रतिशत से अधिक का विचलन होने पर सम्बन्धित अधिकारियों को आरोप पत्र जारी कर दिये जावें।

उपरोक्त समस्त के बावजूद तकनीकी स्वीकृति जारी करने के कार्य को महत्व प्रदान न करना, निश्चित ही गंभीर विषय है।

अतः आदेशित किया जाता है कि आगे से तकनीकी स्वीकृति PWF/AR के नियम 289 एवं आयुक्त कार्यालय से इस बाबत जारी परिपत्र क्र. 59 दिनांक 12.05.98 (छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न) की अनुपालना कर ही जारी की जावें, जिससे निर्माण कार्यों में अतिरिक्त मात्राओं (Additional quantities) एवं अतिरिक्त मदों (extra items) को न्यूनतम किया जा सके।

इन आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जावें।


आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, I/II/HQ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता I/II/III, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त
5. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड
6. संयुक्त निदेशक (एस.ए.), राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को सूचनार्थ एवं संबंधित के ई-मेल व वेबसाइट पर महत्वपूर्ण आदेशों पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


वित्तीय सलाहकार

18/5/98
 Date:- 12/5/98

o. 59

C I R C U L A R


SUB: General Instruction regarding submitting the schemes/cases for Technical Sanction to Head Office.

It has been observed that while submitting the schemes/cases for Technical Sanction to Head Office, Dy.H.C. & Resident Engineer's are not enclosing the required documents and details. It causes unnecessary delay to scrutinise the case.

In this regard I am directed by Chief Engineer, RHB that following points be also submitted with the Technical sanction:-

- 1- Actual bearing capacity of soil with angle of repose.
- 2- Detailed design of foundation and pillars (30 to 60 cm length)
- 3- General specifications being adopted for construction of each category of house.
- 4- A note be submitted by the Resident Engineer concerned regarding safety of plan/structure.
- 5- Design of R.C.C. components like roof slab, beams, lintels etc. including complete bar bending, schedules, spacing with detailed drawings.
- 6- A brief note on development works like approach road, internal roads, water supply, drainage, electrification etc. be submitted by Resident Engineer and supported by Site plan.

It is therefore enjoined upon all to submit the cases for Technical sanction in future, with above details also.


 (S.K. BHATIA)
 DY.H.C. & TA TO HOUSING COMMISSIONER, JAIPUR

Copy to following:-

- 1- To Chairman/Housing Commissioner, PHB, Jaipur.
- 2- The Chief Engineer, RHB, Jaipur.
- 3- Addl. Chief Engineer, I, II, III, RHB, Jaipur.
- 4- Dy.H.C., JC-1, II, III/Kota/Jodhpur/Udaipur/PAM/
- 5- The Resident Engineer, RHB, Div. jaipur...


 Dy.H.C. & TA Housing Commissioner